रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936
No. 78] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मार्च, 2015

सामान्य व्युत्पन्नी (कॉमन डेरिवेटिव्ज़) प्रमाणीकरण परीक्षा : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-2015/23.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियमों) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है ।

2. तारीख 13 मई 2009 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/04/163097, तारीख 29 जून 2010 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/12/10230 और तारीख 11 जनवरी 2013 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/30/5474 के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने क्रमश: रा.प्र.बा.सं. श्रृंखला–I : मुद्रा व्युत्पन्नी (करेंसी डेरिवेटिव्ज़) प्रमाणीकरण परीक्षा ("श्रृंखला-I : सीडी"), रा.प्र.बा.सं. श्रृंखला–IV : ब्याज दर व्युत्पन्नी (इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्ज़) प्रमाणीकरण परीक्षा ("श्रृंखला-IV : आईआरडी") और रा.प्र.बा.सं. (एनआईएसएम) श्रृंखला–VIII : इक्विटी व्युत्पन्नी (इक्विटी डेरिवेटिव) प्रमाणीकरण परीक्षा ("श्रृंखला-VIII : ईडीसीई") को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित व्युत्पन्नी खंडों (डेरिवेटिव सेगमेंटों) के व्यापारिक सदस्यों (ट्रेडिंग मेम्बर्स) के अनुमोदित उपयोक्ताओं (एप्रूव्ड यूज़र्स) तथा विक्रय कार्मिकों (सेल्स पर्सोनल) के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

3. उद्योग (इंडस्ट्री) के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया (विनिश्चय किया गया) है कि उपरोक्तानुसार विभिन्न व्युत्पन्नी खंडों (डेरिवेटिव सेगमेंटों) के लिए अनेक प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करने के बजाय, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 9 दिसम्बर, 2014 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIII : सीओएम/2014/01 में यथा उल्लिखित रा.प्र.बा.सं. श्रृंखला-XIII : सामान्य व्युत्पन्नी (कॉमन डेरिवेटिव्ज़) प्रमाणीकरण परीक्षा ("श्रृंखला-XIII : सीडीसीई") को ऊपर पैरा 2 में कथित अधिसूचनाओं में उल्लिखित सहयुक्त व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक परीक्षा के रूप में अधिसूचित किया जाता है ।

4. जिन सहयुक्त व्यक्तियों ने श्रृंखला-XIII : सीडीसीई प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लिया हो, उन सहयुक्त व्यक्तियों के बारे में यह समझा जायेगा कि उन्होंने विभिन्न व्युत्पन्नी खंडों (डेरिवेटिव सेगमेंटों) के लिए अधिसूचित प्रमाणीकरण (जो ऊपर कथित हैं) अभिप्राप्त कर लिए हैं ।

5. व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर्स) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी सहयुक्त व्यक्ति, जो संबंधित व्युत्पन्नी खंडों (डेरिवेटिव सेगमेंटों) में अनुमोदित उपयोक्ता (एप्रूव्ड यूज़र्स) तथा विक्रय कार्मिक (सेल्स पर्सोनल) हैं, संबंधित अधिसूचनाओं में उल्लिखित समय-सीमाओं के अनुसार प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69 जेडबी/14]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th March, 2015

Common Derivatives Certification Examination : Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. LAD-NRO/GN/2014-15/23.—In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 ("the Regulations"), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

2. Vide notification numbers LAD-NRO/GN/2009-10/04/163097 dated May 13, 2009, LAD/NRO/GN/2010-11/12/10230 dated June 29, 2010 and LAD-NRO/GN/2012-13/30/5474 dated January 11, 2013, the Securities and Exchange Board of India had specified NISM Series-I: Currency Derivatives Certification Examination ("Series-I: CD"), NISM-Series-IV: Interest Rate Derivatives Certification Examination ("Series-IV: IRD") and NISM-Series-VIII: Equity Derivative Certification Examination ("Series VIII: EDCE") respectively for approved users and sales personnel of the trading members of the respective derivative segments of a recognised stock exchange.

3. In consultation with the industry, it has been decided that instead of obtaining multiple certifications for various derivative segments as mentioned above, NISM Series XIII: Common Derivatives Certification Examination ("Series-XIII: CDCE") as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-XIII: COM/2014/01 dated December 09, 2014 is notified as an optional examination for the associated persons mentioned in the above cited notifications at para 2.

4. The associated persons who have obtained the Series-XIII:CDCE certification shall be deemed to have obtained the above cited certifications notified for different derivative segments.

5. The trading members shall ensure that all such associated persons who are approved users or sales personnel in the respective derivative segments shall obtain the certification as per the timelines mentioned in the respective notifications.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./69 ZB/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.